

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- /2019

1. सिन्दरपाल कौर पत्नि सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी धर्मसिंहवाला हाल आबाद किलीयांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. कुलदीप कौर पत्नि सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी धर्मसिंहवाला हाल आबाद किलीयांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1. सरवन सिंह पुत्र बरियाम सिंह जाति जटसिख निवासी धर्मसिंहवाला हाल आबाद किलीयांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,  
92ए, 188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता | वादीगण             |
| 2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता      | प्रतिवादी संख्या 1 |
| 3. राजपैरोकार                   | प्रतिवादी संख्या 2 |

निर्णय

दिनांक 20-1-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 14 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 36/83 की प0न0 06/132 मु0न0 15 किला न0 12/2, 13 ता 25 की 3.416 हैक्टर प0न0 06/133 मु0न0 26 किला न0 12/2, 13 ता 25 की 3.416 हैक्टर प0न0 06/134 मु0न0 33 किला न0 1 ता 10 की 2.403 हैक्टर कुल 9.235 हैक्टर रकबा में 0.769 हैक्टर रकबा है। व चक न0 14 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की खाता संख्या 101/97 की प0न0 07/131 मु0न0 11 किला न0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर प0न0 06/134 मु0न0 33 किला न0 10/2, 11 ता 20, 25 की 2.910 हैक्टर कुल 9.235 हैक्टर रकबा में 2.371 हैक्टर रकबा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कुल 3.140 हैक्टर रकबा है। नकल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

3. यह कि वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक है का विभाजन घरेलू तौर पर कर लिया था। हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सहूलियत को देखते हुए अपनी तमाम कृषि भूमि का घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया है। विभाजन के तहत वादीगण संख्या 1 व 2 को चक न0 14 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 36/83 की 9.235 हैक्टर रकबा में 0.512 हैक्टर व खाता संख्या 101/97 की 9.235 हैक्टर रकबा में 1.580 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को खाता संख्या 36/83 में 0.257 हैक्टर व खाता संख्या 101/97 में 0.791 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पंजाब में किलीयांवाली में भी कृषि भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 चक न0 14 बी एन डब्ल्यू की खाता संख्या 36/83 व खाता संख्या 101/97 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन के तहत अपनी-अपनी कृषि भूमि काश्त कर रखी है। वादीगण की कब्जा काश्त में उपरोक्त भूमि है।

4. यह कि वादीगण को घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त भूमि पर वादीगण की शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में यह तय हुआ था कि जब भी वादीगण चाहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 उसके नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा



Handwritten signature and text: "E. Singh" and "उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)"

देवेगा। वादीगण ने घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि को अपने श्रम साधनो से उपजाऊ बनाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा कि हमारे हक व हिस्से की कृषि भूमि जिस पर हम वादीगण की कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है।

5. यह कि वादीगण के हक व हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण कर सकता है। जिससे हम वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति-पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नहीं है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें व वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे। वादीगण यह घोषणा पाने का अधिकारी है कि वे चक न0 14 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 36/83 की 9.235 हैक्टर रकबा में 0.512 हैक्टर व खाता संख्या 101/97 की 9.235 हैक्टर रकबा में 1.580 हैक्टर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र-वधु है। वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। जिसमें प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त तथ्यो को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद की है। वादीगण के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 14 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 36/83 की 9.235 हैक्टर रकबा में 0.512 हैक्टर व खाता संख्या 101/97 की 9.235 हैक्टर रकबा में 1.580 हैक्टर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सरवन सिंह का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



*Evans*  
20-1-2020  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर

